# HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
# BENCH AT JAIPUR

## ORDER

S.B.Criminal Revision Petition No. 1271 / 2011

राजस्थान सरकार

....रिवीजनकर्ता

बनाम

केदार पुत्र स्व0 मदनलाल जाति–बैरवा, उम्र 20 साल निवासी हिंगोनिया की ढाणी, वार्ड संख्या 23, चाकसू, जिला–जयपुर।

...अभियुक्त/रेस्पोन्डेन्ट

आदेश दिनांकः 31.01.2017

**माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा**

श्रीमती सोनिया शांडिल्य, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

निगराकार राज्य सरकार ने यह निगरानी याचिका पेश कर आलोच्य आदेश दिनांक 28फरवरी, 2011 को चुनौती दी है जो कि विद्वान सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर ने दाण्डिक प्रकरण संख्या 10/2011 (सरकार बनाम केदार) में पारित कर अयाची अभियुक्त केदार को धारा 363, 366–क भा.दं.सं. के अपराध से उन्मोचित किया है।

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार यह निगरानी याचिका राज्य सरकार की ओर से दिनांक 13.06.2011 को पेश की गयी है जो दो दिन के विलम्ब से पेश की गयी है। राज्य सरकार की ओर से विलम्ब माफी का कोई कारण नहीं बताया गया है, अन्यथा भी विद्वान सेशन न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह माना है कि–

> ''पत्रावली के अवलोकन से फरियादी द्वारा अपनी पुत्री सुनीता उर्फ सोनू की उम्र 17 वर्ष होना बतलाया गया है तथा सोनू द्वारा भी अपने कथनों मे अपनी उम्र 17 वर्ष होना बतलाया गया है। सोनू के धारा 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जिसमें उसने अभिकथन किया है कि दिनांक 04.10.2010 को रात 8.30–9 बजे मैं खेत पर लैट्रीन करने गयी थी। वापिस आते समय एक मोटरसाईकिल आयी, जिस पर मुझे जबरदस्ती बैठा लिया। उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने

मुझे बस स्टेण्ड पर लाकर छोडा, जहां मुझे केदार मिला, जो मेरे ताऊजी का लडका है। वह मुझे बस में बैठाकर सिंधी कैम्प ले गया तथा वहां से दिल्ली वाली बस में बैठा कर दिल्ली ले गया तथा दिल्ली से कटरा ले गया। कटरा में 20–25 दिन रखा। कटरा से उज्जैन ले आया तथा एक कमरे में मुझे वहां रखा। जब वह वहां से बाहर गया, उसका मोबाईल वहीं रह गया था। जिससे मैंने अपने माता–पिता को फोन किया। वहां पर मेरे घर वाले आ गये। केदार ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती गलत काम नहीं किया।

अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध कथनों में फरियादी द्वारा मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति जिसे पहचानने से इंकार किया है, द्वारा जबरदस्ती उसे मोटरसाईकिल पर बैठा कर ले जाना कहा है, परन्तु अपने ताऊजी के लडके केदार के साथ वह बस स्टेण्ड से स्वेच्छा से सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड आयी एवं बस में बैठकर दिल्ली गयी है एवं वहां से कटरा गयी है, जहां 20–25 दिन रहा है। इसके उपरानत सुनीता उर्फ सोनू कटरा से उज्जैन अभियुक्त केदार के साथ गई तथा वहां कमरे में रही है, जहां से वह अपने माता–पिता को फोन करना कहती है। स्पष्ट है कि लम्बी अवधि तक सुनीता उर्फ सोनू अभियुक्त केदार के साथ रही है एवं स्वेच्छा से दिल्ली व कटरा तथा उज्जैन गयी है। उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि केदार द्वारा उसे धमका कर अपने साथ ले जाया गया हो। सुनीता उर्फ सोनू ने यह भी धारा 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध कथनों में कहा है कि केदार द्वारा उसके साथ कोई जबरदस्ती गलत काम नहीं किया गया है। यद्य पि धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में अंत में सुनीता द्वारा केदार द्वारा जबरदस्ती लेकर जाना कहा है परन्तु किस प्रकार की जबरदस्ती उसके साथ की गई, यह कहीं नहीं बतलाया है। स्पष्ट है कि फरियादी सुनीता उर्फ सोनू लम्बी अवधि तक अभियुक्त केदार के साथ बस में बैठकर दिल्ली गई, कटरा व उज्जैन में रही है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि सुनीता उर्फ सोनू को जबरन अभियुक्त द्वारा अपने साथ ले जाया गया हो एवं जबरन डरा धमका कर अपने साथ रखा गया हो।

जहां तक सुनीता की उम्र का बिन्दु है, सुनीता ने अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में कहा है कि वह आठवीं कक्षा तक पढी है परन्तु अनुसंधान अधिकारी द्वारा सुनीता की पढाई संबंधी रिकार्ड को प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सकता कि उसकी शाला के रिकार्ड में क्या जन्मतिथि अंकित है। सुनीता उर्फ सोनू एवं उसके माता–पिता द्वारा भी फरियादी की जन्मतिथि नहीं बतलायी गई है एवं अस्पष्ट तौर पर 17 वर्ष की उम्र होना कहा है। सुनीता की उम्र संबंधी मेडिकल जांच हुई है जिसमें रेडियोलोजिस्ट द्वारा उसकी उम्र 17 से 19 वर्ष के अंदर होना बतलायी गई है। अतः हमारी विनम्र राय में

सुनीता बालिग थी तथा वह स्वेच्छा से अभियुक्त केदार के साथ गई है। प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त केदार के विरूद्ध प्रथम दृष्टि में कोई अपराध बनना प्रकट नहीं होता है। अतः उसे आरोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है।''

उपरोक्त परिस्थितयों में जहां इतने लम्बे समय तक विलम्ब माफी का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में उनके द्वारा लिये गये आब्जर्वेशन को मध्य–नजर रखते हुए इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं पाया जाता है तथा अवधि बाहर होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

तदनुसार यह निगरानी याचिका अस्वीकार की जाती है।

**(बनवारी लाल शर्मा)**
**न्यायाधिपति**

मित्तल / 17